राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प.13(1)प्र0सु0/सम0/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांकः 12.08.2013

परिपत्र

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 राज्य में 1 अगस्त, 2012 से इस अवधारणा के साथ लागू किया गया है कि आम नागरिक को उसके निवास के निकटतम स्थान पर सुनवाई का अवसर उपलब्ध हो सके। इस अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा–5 में **"सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना"** का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निर्मित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.04.2013 द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 20.04.2013 से लोक सुनवाई सहायता केन्द्र (LSSK) स्थापित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

आदेश दिनांक 09.04.2013 एवं 13.06.2013 के अनुसार इन केन्द्रों पर सभी प्रकार के परिवाद, आवेदन पत्र एवं शिकायतें प्राप्त कर, मुद्रित रसीद देने एवं उन पर ब्लॉक/जिला स्तरीय सुनवाई प्रत्येक शुक्रवार को तथा ग्राम पंचायत स्तरीय सुनवाई पंचायत कोरम/मिनी सचिवालय के दिन अर्थात प्रत्येक माह की 5, 12, 20 एवं 27 तारीख को करने की प्रणाली शुरू की गई है।

इस त्रिस्तरीय सुनवाई व्यवस्था के तहत निर्धारित तिथियों/दिवसों को आयोजित होने वाली सुनवाई बैठकों में संबंधित विभागीय लोक सुनवाई अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि कृपया आपके अधीन विभाग/कार्यालयों के संबंधित लोक सुनवाई अधिकारियों को इन सुनवाई बैठकों में उपस्थिति होने के लिये पाबंद करें एवं इन अधिकारी/कर्मचारीगण के नाम, पद एवं सम्पर्क नम्बर कार्यालय सूचना पट्ट के साथ ही विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (समस्त)।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजकीय उपक्रम/मण्डल/निगम/कम्पनी।
8. रक्षित पत्रावली।

12/8/13

(बन्ना लाल)
निदेशक पब्लिक सर्विसेज

Phone No. 0141-2227103, Website : www.ard.rajasthan.gov.in, E-mail : ds-ardmref-rj@nic.in